



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 669]

नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 15, 2019/कार्तिक 24, 1941

No. 669]

NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 15, 2019/ KARTIKA 24, 1941

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 नवम्बर, 2019

सं. 82/2019-सीमा शुल्क (गै.टे.)

सा.का.नि. 851(अ).—सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क प्रतिअदायगी नियमावली, 2017 के नियम 3 और 4 के साथ पठित सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 75 की उप-धारा (2) और केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 37 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्वारा सा.का.नि. संख्या 1180 (अ), दिनांक 6 दिसम्बर, 2018 के तहत प्रकाशित, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 95/2018- सीमा शुल्क (गै.टे.) दिनांक 6 दिसम्बर, 2018 में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में, अतुसूची में, अध्याय - 71 में,-

- (i) टैरिफ मद 711301 के समक्ष, स्तम्भ (4) की प्रविष्टि में, "272" अंकों के लिए, "372.9" अंकों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (ii) टैरिफ मदो 711302 तथा 711401 के समक्ष, स्तम्भ (4) की प्रविष्टि में, "3254" अंकों के लिए, "4332.2" अंकों को क्रमशः प्रतिस्थापित किया जाएगा।

2. यह अधिसूचना दिनांक 16.11.2019 से लागू होगी।

[फा. सं. 609/36/2018-डीबीके]

गोपाल कृष्ण झा, निदेशक (प्रतिअदायगी)

टिपणी : प्रधान अधिसूचना संख्या 95/2018-सीमा शुल्क (गै.टे.) दिनांक 6 दिसम्बर, 2018 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उपखंड (i) में सा.का.नि. संख्या 1180(अ) दिनांक 6 दिसम्बर, 2018 द्वारा प्रकाशित किया गया तथा इसमें भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. संख्या 122(अ) दिनांक 16 फरवरी, 2019 के तहत प्रकाशित अधिसूचना संख्या 12/2019- सीमा शुल्क (गै.टे.) दिनांक 16 फरवरी, 2019 द्वारा अंतिम बार संशोधन किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th November, 2019

No. 82/2019-CUSTOMS (N.T.)

G.S.R. 851(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 75 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) and sub-section (2) of section 37 of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944), read with rules 3 and 4 of the Customs and Central Excise Duties Drawback Rules, 2017, the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 95/2018- Customs (N.T.), dated the 6th December, 2018, published vide number G.S.R. 1180(E), dated the 6th December, 2018, namely:-

In the said notification, in the Schedule, in Chapter - 71,-

- (i) against tariff item 711301, in the entry in column (4), for the figures “272”, the figures “372.9” shall be substituted;
- (ii) against tariff items 711302 and 711401, in the entry in column (4), for the figures “3254”, the figures “4332.2” shall respectively be substituted.

2. This notification shall come into effect from the 16th November, 2019.

[F. No. 609/36/2018-DBK]

GOPAL KRISHNA JHA, Director (Drawback)

Note : The principal notification No. 95/2018-Customs (N.T.), dated the 6th December, 2018 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), dated the 6th December, 2018 vide number G.S.R. 1180(E), dated the 6th December, 2018 and was last amended by notification No. 12/2019-Customs (N.T.), dated the 16th February, 2019, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), dated the 16th February, 2019 vide number G.S.R. 122 (E) , dated the 16th February, 2019.